

ऋण निरीक्षण शुल्क कुल एक्सपोजर (बकाया + नई संस्वीकृति, यदि कोई हो) के अनुसार होगा एवं निम्नानुसार होगा:

एक्सपोजर राशि (₹ करोड़)	जीएसटी सहित ऋण निरीक्षण शुल्क
100 तक	प्रति निरीक्षण 50,000 रुपये + कर
100 से अधिक तथा 300 तक	प्रति निरीक्षण 75,000 रुपये + कर
300 से अधिक	प्रति निरीक्षण 1,00,000 रुपये + कर